आवश्यक

संख्या: 59/2019/3358/12-2-2019-14/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद शामली, मेरठ, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड, आगरा,
फिरोजाबाद, हाथरस, काशीरामनगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबाफुलेनगर,
सम्भल, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर,
महोबा, चित्रकूट, भदोही तथा अमेठी।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2019

विषय: मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या(एस0)(सिविल)13029/1985 एम0 सी0मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अदर्स के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 39/2019/2882/12-2-2019-14/2016 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या: 42/2019/2997/12-2-2019-14/2016 दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या:47/2019/3166/12-2-2019-14/2014 दिनांक 16 नवम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा कृषकों के द्वारा फसल अवशेष को जलाये जाने से रोकने के लिए अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में सेल का गठन तथा उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सचल दस्ते एवं संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान तथा लेखपाल को जिम्मेदार बनाये जाने के निर्देश के अतिरिक्त राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम के कलस्टरवार एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुए फसल अवशेष को न जलने देने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये थे। यह भी निर्देश दिये गये थे कि जिन कृषकों के द्वारा पराली जलाने की घटना सामने आती है उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए एवं जिन क्षेत्रों में ऐसी घटनायें होती हैं उनके लिए उत्तरदायी कर्मचारी का पर्यवेक्षणीय दायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।

2. उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को सुनवाई के दौरान उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के बावजूद भी पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनायें प्रकाश में आने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्नवत Observation दिये हैं:-

> "Time has come to require the State Governments to explain why they should not be asked to compensate the persons who are being affected by bad air quality. Obviously, the State is run by the administration, why liablility should not be imposed for such a tort on the concerned

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

machinery also of the various States which are failing to discharge their basic duties."

इस प्रकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कडी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं इस प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों यथा जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ उनके विरूद्ध अन्य कडी कार्यवाही की जा सकती है।

3. उल्लेखनीय है कि पराली अवशेष जलाये जाने से रोकने विषयक शासन के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2019, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 एवं दिनांक 16 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देशों के बावजूद आपके जनपद में पराली के अवशेष जलाये जाने की संलग्नक के अनुसार घटनायें प्रकाश में आयी हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपके स्तर से पर्याप्त रूचि नहीं ली जा रही है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उक्त घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही पराली जलाने की घटना को न रोक पाने के लिए संबंधित क्षेत्र के उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित तहसील/थाना के जिम्मेदार अधिकारियों का भी स्पष्टीकरण/उत्तरदायित्व निर्धारित कर स्व स्पष्टीकरण सहित दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 तक सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पराली एवं अन्य अवशेष जलाने की कोई भी घटना जनपद में कदापी न होने पाए।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या:59/2019/3358(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृत कार्यवाही की आख्य प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गत वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्तमान वर्ष 2019-20 में फसल अवशेष जलने की घटना अधिक होने का जनपदवार विवरण

क्रम सं0	जनपद का नाम	01 अक्टूबर से 25 नवम्बर तक	
		2018-19	2019-20
1	शामली	0	24
2	मेरठ	22	32
3	बुलन्दशहर	20	27
4	गौतमबुद्ध नगर	12	19
5	बागपत	0	14
6	हापुड	0	13
7	आगरा	0	4
8	फिरोजाबाद	11	17
9	हाथरस	0	1
10	काशीरामनगर	0	5
11	बदायूँ	13	22
12	मुरादाबाद	15	16
13	रामपुर	224	316
14	ज्योतिबाफुलेनगर	0	8
15	सम्भल	0	9
16	कानपुर देहात	29	43
17	फर्रूखाबाद	0	6
18	कन्नौज	8	10
19	जालौन	0	125
20	ललितपुर	0	7
21	बांदा	11	16
22	हमीरपुर	1	37
23	महोबा	0	9
24	चित्रकूट	0	6
25	भदोही	0	1
26	अमेठी	0	10

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।